

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं०सं०- पि०व०/4/ज०क०ठा०छा०नि०एवं जी०र्ण०-26-05/2025-02,

सेवा में,
महालेखाकार,
बिहार,
पटना।

पटना दिनांक- 21/01/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के अंतर्गत भोजपुर जिलान्तर्गत धनुपरा, आरा में स्वीकृत जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवन की मरम्मत/जीर्णोद्धार एवं रंग-रोगन कार्य (विद्युतीकरण कार्य सहित) कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि रु० 56,34,441/- (रु० छप्पन लाख चौतीस हजार चार सौ इकतालीस) मात्र पर किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के अंतर्गत भोजपुर जिलान्तर्गत धनुपरा, आरा में स्वीकृत जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवन की मरम्मत/जीर्णोद्धार एवं रंग-रोगन कार्य (विद्युतीकरण कार्य सहित) कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि रु० 56,34,441/- (रु० छप्पन लाख चौतीस हजार चार सौ इकतालीस) मात्र पर किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-03 के तहत मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य-उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघु शीर्ष-053-रखरखाव तथा मरम्मत-उप शीर्ष-0101-पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास आदि भवनों का अनुसंधान एवं मरम्मत विषय शीर्ष-27 02 अनुसंधान एवं मरम्मत विपत्र कोड-03-2059800530101 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता/विद्युत कार्यपालक अभियंता होंगे तथा इसकी निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्रांक-8244 दिनांक-02.08.2010 के आलोक में निकासी की कारवाई करेंगे।

5. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-7658 दिनांक-14.08.2025 तथा पत्रांक-6599 दिनांक-15.07.2025 के माध्यम से क्रमशः अधीक्षण अभियंता तथा विद्युत अधीक्षण अभियंता द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदत्त प्राक्कलन के आलोक में भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड, गुणवत्ता के अनुसार जीर्णोद्धार कार्य समय-सीमा के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जीर्णोद्धार कार्य के क्रम में पूर्व से किये गये विद्युतीकरण कार्य में किसी प्रकार की क्षति नहीं हो।

6. इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे समय-समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गयी राशि की उपयोगिता की सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को माहवार उपलब्ध करायेंगे।

7. संबंधित भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता एवं विद्युत कार्य प्रमंडल के विद्युत कार्यपालक अभियंता के द्वारा कार्य से संबंधित विस्तृत प्राक्कलन एवं DPR Report जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर को उपलब्ध कराया जायेगा एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत सक्षम प्राधिकार को हस्तांतरित किया जाएगा तथा इसकी सूचना जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को भी निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

P.T.O

8. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के तहत दिए गए निदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. प्रस्ताव पर दिनांक-16.01.2026 को आयोजित बैठक में स्कीम स्क्रिनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त है।

10. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21/01/2026
(अनिल कुमार ठाकुर)

अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि०व०/4/ज०क०ठा०छा०नि०एवं जी०र्ण०-26-05/2025-02, पटना, दिनांक- 21/01/2026
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार,
पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/01/2026
अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि०व०/4/ज०क०ठा०छा०नि०एवं जी०र्ण०-26-05/2025-02 पटना, दिनांक- 21/01/2026
प्रतिलिपि-प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/उप विकास
आयुक्त, भोजपुर/कोषामार पदाधिकारी, भोजपुर/प्रमंडलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर/अधीक्षण
अभियंता, भवन अंचल, आरा/विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, आरा/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।

21/01/2026
अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि०व०/4/ज०क०ठा०छा०नि०एवं जी०र्ण०-26-05/2025-02 पटना, दिनांक- 21/01/2026
प्रतिलिपि-निदेशक/उप सचिव, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान अप्त
सचिव/आईटी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/01/2026
अपर सचिव।